न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 87/18 GCMS NO 2018/00191

रामस्वरूप पुत्र हरगोविन्द जाति मीना निवासी ग्राम साचोली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. केदार पुत्र रामधन
2. तेजराम पुत्र कुंजीलाल
3. हरकेश पुत्र कन्हैया
4. चेतराम पुत्र बजरंगा
5. कन्हैया पुत्र रंगा जातियान मीना निवासीयान सांचोली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 12/18 दिनांक 20.7.2018 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री महेश अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 7.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.7.2018 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25[illegible] ग्राम सांचोली तहसील बामनवास मे भूमि खसरा न0 364 रकबा 1.77 है0 कि[illegible]जकीय भूमि स्थित है। इसी के पास दक्षिण दिशा मे गांब की आबादी [illegible] के पुख्ता निर्माण हो रहे है एवं बुर्जगो के समय से ही निवा[illegible]। उक्त आबादी की [illegible]ाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सांचोली से चक उदयरामपुरा क्षेत्र मे जाने केलिए आराजी खसरा न0 364 भूमि मे होकर 20 फीट चाडा रास्ता जा रहा है जो बुर्जगो के समय से ही चला आ रहा है। ग्रामवासी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता वर्तमान मे चालू है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्ते की तरमीम नही हो रही है। जिसके कारण वेवक्त रास्ते के आसपास के लोग रास्ते पर अतिकमण कर उसको अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण व ग्रामवासियो को अनावश्यक परेशानी होती है। मौके पर अर्से दराज से बने हुए रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर मौके अनुसार 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर तरमीम की जावे एवं प्रार्थीगण को रास्ते मे हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता खुलासा कराया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सांचोली के आराजी खसरा न0 364 रकबा 1.77 है. मे मौके पर बने हुए 15 फीट चोडे रास्ते ,जो कि नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित किया गया है , को गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पद दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट की एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये एवं सरकारी निकार्ड का अवलोकन किये बिना ही पटवारी द्वारा साज कर नक्शे के आधार बनाकर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्मी नही होकर रिकार्डेड खातेदार है। पुराने सरकारी रिकार्ड मे सरकारी भूमि में होकर गांव के लिए पहले से ही रास्ता कटा हुआ है। रेस्पो0 व अन्य लोगो ने सरकारी भूमि पर अमिक्रमण कर रास्ते को रोक लिया है तथा अपीलांट की खातेदारी मे होकर नया रास्ता निकालने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व दिया है। जिसका अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। जहाँ रास्ता किसी खातेदार की भूमि मे से लिया जाना होता है तो उसके लिए राज्य सरकार के विधि अनुसार रास्ते की लम्बाई चौडाई एवं जिस खातेदारी की भूमि मे से रास्ता चाहिए उस खातेदार को मुआवजा राशि दी जाकर ही रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। संविधान के तहत बिना क्षतिपूर्ति के किसी भी खातेदार की भूमि को अवाप्त नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्वान्त के विपरित निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.7.18 आपस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.6.18 के अनुसार खसरा न0 364 काफी बडा रकबा है जिसमे बंदोवस्त के बाद काफी लोगो को भूमि का आंवटन होने का अंकन है तथा नजरी नक्शे मे कुछ ही नम्बरो की तरमीम होने का अंकन है। नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार मौके पर पक्की दीवार एवं तथा चारे का टोप व मिटटी की पाल लगाकर अतिकमण किये जाने का अंकन है। परन्तु नजरी नक्शे मे बंद होने का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सांचोली के आराजी खसरा न0 364 रकबा 1.77 है0 मे मौके पर बने हुए 15 फीट चौडे रास्ते जिसको नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित किया गया है को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये गये है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु बिना राशि का निर्धारण किये बिना एवं निर्धारित राशि राजकोष मे जमा कराने हेतु प्रार्थी/रेस्पो0 बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया है। इस प्रकार रास्ते के काम आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होते हुए बिना धारा 96 सीपीसी (अपील प्रस्तुत करने की अनुमति) के प्रार्थना पत्र संलग्न किये बिना ही अपील प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.2018 आपस्त योग्य होने से अपास्त किये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि रेस्पो0/प्रार्थीगण को उनके खसरा न0 पर पहुॅचने का कोई वैकल्पिक मार्ग नही हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) का अवलोकन किया जाकर रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाकर राजकोष मे जमा कराने की शर्त पर सुखाधिकार के तहत रास्ता प्रदान करने हेतु तहसीलदार या भू0अ0निरीक्षक से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रभावित पक्षकारो को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner